भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1942
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और अधिगम परिणामों की स्थिति

1942 **श्री कपिल सिब्बल:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्ष **2026** के मध्य तक उच्च शिक्षण संस्थानों में चार वर्षीय स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों**,** बहुविषयक शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति**, 2020** के अंतर्गत प्रस्तावित अन्य संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है साथ ही विभिन्न राज्यों में इसके प्रतिरोध**,** विलंबों अथवा कार्यान्वयन के दौरान सामने आए कमियों का ब्यौरा क्या है**;**
(ख) विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति**, 2020** के अंतर्गत पाठ्यक्रम संशोधन**,** व्यावसायिक विषयों की शुरुआत तथा नई मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है तथा हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार इनके शिक्षण की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है**;** और
(ग) नई शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण**,** हाशिए पर रहने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच डिजिटल असमानता को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं तथा क्या उक्त वर्गों के विद्यार्थियों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना प्राप्त हुई है**?**

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। एनईपी-2020 इसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समय-सीमाएं तथा सिद्धांत और पद्धति प्रदान करती है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्यों ने सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम किया है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी-2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल की है।

एनईपी-2020 की सिफारिशों के अनुरूप, यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों में स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क; राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क; राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क; शैक्षणिक क्रेडिट बैंक; उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षण की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी दिशानिर्देश; उच्च शिक्षण संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने के लिए यूजीसी दिशानिर्देश; अपरेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) 2025 पर यूजीसी दिशानिर्देश शामिल हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं जो अपने-अपने अधिनियमों, विधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। अपने-अपने वैधानिक निकायों की सहमति से, वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न प्रकार और अवधि के कार्यक्रम प्रदान करते हैं। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया है।

(ख): एनईपी 2020 में परिकल्पित रूप में, केंद्र सरकार ने रोजगार क्षमता, श्रम की गरिमा और कार्य-संबंधी क्षमताओं को आधारभूत स्तर से ही बढ़ावा देने के लिए कौशल/व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत किया है।

एनईपी 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) ने मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर कौशल शिक्षा को सीधे एकीकृत करके इसे संस्थागत रूप दिया है, ताकि शैक्षणिक विषयों के साथ समानता सुनिश्चित की जा सके। छात्रों को आधारभूत कौशल और व्यावहारिक जागरूकता विकसित करने तथा कक्षा-उपयुक्त कौशल क्षमताओं के निर्माण के लिए व्यावसायिक शिल्पों से जोड़ने हेतु पर्याप्त शिक्षण घंटे आवंटित किए गए हैं।

एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कक्षा VI–XII के छात्रों के लिए कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा प्रणाली में एक नियमित घटक के रूप में शामिल किया गया है। यह योजना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजना अनुमोदन बोर्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जाती है, जिसमें जनजातीय और आकांक्षी क्षेत्र भी शामिल हैं।

समग्र शिक्षा के तहत कौशल शिक्षा के कार्यान्वयन का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे देश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान, सीबीएसई ने कक्षा IX-X में माध्यमिक स्तर पर 22 कौशल विषय और कक्षा XI-XII में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 43 कौशल विषय प्रदान किए। पाठ्यक्रमों में रोजगार कौशल के साथ-साथ विषय-विशिष्ट सैद्धांतिक और व्यावहारिक घटक शामिल हैं।

इसके अलावा, सीबीएसई नियमित रूप से कौशल विषयों और कौशल मॉड्यूल पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रधानाचार्यों के लिए जागरूकता और अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें एनईपी, 2020 और एनसीएफ-एसई, 2023 के तहत कौशल शिक्षा से संबंधित पहलों से परिचित कराया जा सके। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान, 9,000

से अधिक शिक्षकों ने विभिन्न कौशल विषयों और कौशल मॉड्यूल पर सीबीएसई द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लिया।

मंत्रालय ने 2023 में एनसीईआरटी में राष्ट्रीय आकलन केंद्र - परख की स्थापना भी की है, जो आकलनों के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करेगा। देश भर में स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए योग्यता-आधारित शिक्षण और आकलन की ओर बदलाव को सुगम बनाने हेतु तकनीकी, वित्तीय और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए परख के माध्यम से कई पहलों और सुधारों को संचालित किया गया है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्ष, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 के स्कोर की तुलना में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल में महत्वपूर्ण सुधार को उजागर करते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के स्कूल प्रारंभिक और मध्य स्तर पर सभी विषयों में सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्शाते हैं, जो ऐसे स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रति बच्चे बढ़े हुए खर्च से होने वाले लाभों का संकेत देते हैं।

(ग): यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल को डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी) द्वारा संचालित एक मंच है जो सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी के लिए है। इस एकीकरण के माध्यम से, छात्र डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल, यूजीसी ई-पीजी पाठशाला के तहत उपलब्ध ई-सामग्री, और यूजीसी संग्रहीत स्वयम एमओओसी पोर्टल शामिल हैं। यह एकीकरण ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सीएससी के माध्यम से उच्च शिक्षा ई-सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षण के अवसरों में सुधार होता है।

दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 24/7 शैक्षिक सामग्री डीटीएच चैनलों (स्वयम प्रभा) के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह कई विषयों में व्याख्यान, ट्यूटोरियल और अध्ययन सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करता है। जीसैट-15 उपग्रह के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध, स्वयम प्रभा विशेष रूप से दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों के छात्रों के लिए लाभकारी है, जो डिजिटल विभाजन को कम करता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है।

मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहलों को भी लागू करता है, जो एनईपी-2020 के अनुरूप है, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

पीएम ई-विद्या देश भर में शिक्षा तक बहु-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ईविद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में संरेखित हैं और इसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए राष्ट्र का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक प्रतिभागी के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एबीएस ने स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री जनित और योगदान की है।
